निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(45)लेखा / निकाशि / मुउशिछायो / 2013–14 / 1383 दिनांक 31-07-2013

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति / देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में अधिक से अधिक पात्र छात्र–छात्राओं से आवेदन कराने हेतु राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों की बैठक दिनांक 1 व 2 अगस्त 2013 को प्रातः 10.30 बजे निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज. की अध्यक्षता में ब्लॉक नं. 5, चतुर्थ तल, सभागार, शिक्षा संकुल, जयपुर में रखी गई है । मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना राज्य सरकार की फलैगशिप योजना है। सी.सैकण्ड्री परीक्षा में 60 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक तथा परिवार्षिक आय 2.50 लाख अथवा उससे कम होने वाले विद्यार्थी आवेदन के पात्र है ।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में विशेष पिछडा वर्ग की वे छात्राऍ जिन्होंने सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है तथा जिनकी परिवार्षिक आय 2.00 लाख अथवा कम हो स्कूटी के आवेदन हेतु पात्र है । प्रोत्साहन राशि हेतु स्नातक (प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रीवियस) में 55 प्रतिशत अंको पर क्रमशः 10,000 एवं 20,000 वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि देय है ।

उपरोक्त दोनो योजनाओं से संबंधित नियम व शर्तें विभाग की वेबसाईट collegeeducation.rajasthan.gov.in तथा dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।

(नरेश जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ23(34) लेखा / निकाशि / छात्रवृति / 2013–14 / 1384 - 1392 दिनांक 31-07-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निशुल्क प्रकाशन, राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें ।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
6. संपादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के अनुसार आपके राजस्थान के समाचार पत्रो के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावें ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान, प्राचार्य संगीत संस्थान / राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर ।
8. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम से सूचित करावें ।
9. वेबसाईट अनुभाग को अपलोड करने हेतु ।

(आर.एस. मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक